आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.-07 of 2021

Dist.:-.Patna

PRESENT :- Smt. (Dr.)Vandana Kini, IAS,
Chairman-Cum-Member:

==========

Manoranjan Kumar Madhu - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

==========

Appearance :
For the Petitioner :
For the OP :

==========

आदेश

10.11.2022 यह सेवा अपील अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–16/आ0–01–09/2019 सा0प्र0–8477, दिनांक 17.09.2020 द्वारा श्री मनोरंजन कुमार मधु, सहायक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अग्रसारित कर भेजी गई है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेश ज्ञापांक–16/आ0–01–09/2019 सा0प्र0–5317, दिनांक 08.06.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्व अपील दायर की गई है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेश ज्ञापांक–16/आ0–01–09/2019 सा0प्र0–5317, दिनांक 08.06.2020 द्वारा श्री मनोरंजन कुमार मधु के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14(v) के तहत "दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–16/आ0–01–09/2019 सा0प्र0–8477, दिनांक 17.09.2020 द्वारा अग्रसारित अर्जी की प्रति में संलग्न

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

विभागीय मंतव्य/संक्षिप्त इतिहास एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेश ज्ञापांक–16/आ0–01–09/2019 सा0प्र0–5317, दिनांक 08.06.2020 में उल्लेख है कि श्री मनोरंजन कुमार मधु, सहायक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किए गए थें।

श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (मु) द्वारा अपनी पत्नी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी विपत्र दिनांक 27.02.2018 को पटल पर प्राप्त हुआ। उक्त विपत्र को श्री मधु द्वारा दिनांक 28.12.2018 को उपस्थापित किया गया। इसी प्रकार एक अन्य विपत्र श्री श्रीवास्तव द्वारा अपनी पत्नी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 05.09.2018 को श्री मधु को प्राप्त हुआ जिसे श्री मधु द्वारा दिनांक–28.12.2018 को विपत्र की शुद्धता एवं आदेयता की जाँच हेतु सिविल सर्जन को प्रेषित करने हेतु उपस्थापित किया गया। उपरोक्त विपत्र सिविल सर्जन से जाँचोपरांत दिनांक 20.02.2019 को अनु0 जाति एवम् अनु0 जनजाति कार्यालय को प्राप्त होने के उपरांत लगभग छः माह पश्चात् उपस्थापित किया गया।

इसी तरह श्री शिववचन प्रसाद, सेवानिवृत अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की पुत्री की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी विपत्र दिनांक 28.02.2019 को प्राप्त होने के लगभग दो माह उपरांत विपत्र की शुद्धता एवं आदेयता की जाँच हेतु उपस्थापित किया गया। पुनः जाँचोपरांत विपत्र प्राप्त होने के उपरांत भी दो माह विलंब से उपस्थापित किया गया। इस प्रकार श्री मधु द्वारा संचिका के उपस्थापन में शिथिलता बरती गयी।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–16/आ0–01–09/2019 सा0प्र0–8477, दिनांक 17.09.2020 द्वारा अग्रसारित अर्जी की प्रति में संलग्न विभागीय मंतव्य/संक्षिप्त इतिहास में आगे अंकित है कि श्री मधु द्वारा बचाव अभिकथन दिनांक 16.03.2020 समर्पित करते हुए यह उल्लेख किया गया की विभाग में अत्याधिक कार्यबोझ के कारण कतिपय मामलों में ससमय कार्रवाई नहीं हो पाना सहज संभावित है। श्री श्रीवास्तव, उप निदेशक (मु) द्वारा अपनी पत्नी की किडनी रोग की अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में कराई गई चिकित्सा से संबंधित

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

व्यय की राशि 34239/– का विपत्र विभाग में 27.02.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 10.04.2017 से 13.04.2017 तक का Discharge summary संलग्न था। पुनः पत्नी की किडनी रोग की अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में कराई गई चिकित्सा की राशि 45863/– की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया जो पटल पर दिनांक 25.09.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 10.04.2017 से 13.04.2017 का Discharge summary ही संलग्न था, जो अपने आप में संदेह उत्पन्न करता था। उक्त विपत्रों की सत्यता संदिग्ध रहने की स्थिति में उच्चाधिकारी द्वारा यह निदेश दिया गया कि श्री श्रीवास्तव के चिकित्सा विपत्र से संबंधित मामले को अगले निदेश के पश्चात उपस्थापित किया जाय। इस प्रकार जानबूझकर अथवा लापरवाही के कारण संचिका के उपस्थापन में विलंब नहीं किया गया है। बल्कि विपत्र के सत्यता में संदेह के आधार पर उच्चाधिकारियों के निदेश के आलोक में विलंब हुआ है।

श्री शिववचन प्रसाद, सेवानिवृत अवर सचिव की पुत्री की चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी विपत्रों के उपस्थापन में दो माह से विलंब का प्रश्न है तो इसमें इतना विलंब नहीं हुआ है। उक्त विपत्र पी0एम0सी0एच0 से उन्हें दिनांक 18.06.2019 को प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 18.07.2019 को उपस्थापित किया गया। कार्यबोझ को ध्यान में रखते हुए यह विलंब अनदेखा करने योग्य है। उक्त विलंब उनके द्वारा जानबूझकर अथवा लापरवाही से नहीं किया गया। उपरोक्त बातों को श्री मधु ने अपनी लिखित अभिकथन दिनांक 20.10.2021 में भी दोहराया है।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–16/आ0–01–09/2019 सा0प्र0–8477, दिनांक 17.09.2020 द्वारा अग्रसारित अर्जी की प्रति में संलग्न विभागीय मंतव्य/संक्षिप्त इतिहास में आगे यह भी अंकित है कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मधु के विरूद्व प्रतिवेदित आरोप एवं श्री मधु द्वारा समर्पित अभिकथन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (मु) द्वारा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अपनी पत्नी की चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्र (34239/–) विभाग में 27.02.2018 को तथा एक अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्र (45863/–) विभाग में दिनांक 25.09.2018 को उपलब्ध कराया गया। श्री मधु द्वारा उक्त विपत्र पर सत्यता के संदेह के आधार पर उच्चाधिकारी द्वारा तत्क्षण स्थगित रखने के निदेश के आलोक में दस माह विलंब से दिनांक 28.12.2018 को दुसरे विपत्र के साथ उपस्थापित किये जाने को स्वीकार किया गया। लेकिन उक्त दोनों विपत्र जब मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1293, दिनांक 08.02.2019 तथा पत्रांक–1294, दिनांक 08.02.2019 से क्रमशः 34239/– एवं 45863/– का विपत्र जाँचोपरान्त दिनांक 20.02.2019 को प्राप्त होने के बाद भी दिनांक 07.08.2019 को छः माह विलंब से उपस्थापित किया गया, जिसके संबंध में श्री मधु द्वारा कोई तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर श्री मनोरंजन कुमार मधु, सहायक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना से जाँचोपरान्त विपत्र प्राप्त होने (दिनांक 08.02.2019 को) के उपरान्त विपत्र को छः माह विलंब से (दिनांक 07.08.2019 को) उपस्थापित करने हेतु श्री मधु के विरूद्व सरकारी कार्य के प्रति शिथिलता एवं कर्तव्य हीनता का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त तथ्यों के आलोक में विभागीय आदेश सं0–5317 दिनांक 08.06.2020 द्वारा दो वेतन वृद्वि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की शस्ति अधिरोपित की गयी है।

6. इस प्रकार पुनः अपीलार्थी द्वारा अपने अभिकथन में वर्णित तथ्यों को रखते हुए कहा गया कि चिकित्सा विपत्र संदेहास्पद होने एवं पुनः एक विपत्र उसी अवधि के दिये जाने तथा मौखिक आदेश की स्थिति में विलंब हुआ है परन्तु अपीलार्थी के द्वारा मौखिक आदेश का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद भी चिकित्सा विपत्र उपस्थापन में अत्याधिक विलंब को सरकारी कार्य के प्रति शिथिलता एवं कर्तव्य हीनता बताया गया हैं।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

7. उभय पक्षों की सुनवाई करने तथा सभी कागजातों के अवलोकन के पश्चात श्री मनोरंजन कुमार मधु, सहायक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अपील को अस्वीकृत करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक–16/आ0–01–09/2019 सा0प्र0–5317, दिनांक 08.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14(v) के अन्तर्गत श्री मनोरंजन कुमार मधु, सहायक की दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की शस्ति की सम्पुष्टि की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

10/11/2022

(श्रीमती (डॉ0) वन्दना किनी)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

10/11/2022

(श्रीमती (डॉ0) वन्दना किनी)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।